

अनुदान संख्या 77 – राज्य सभा
GRANT No. 77 - RAJYA SABHA

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged -			
मूल	Original	1,22,00		
			2,35,00	1,86,89
पूरक	Supplementary	1,13,00		-48,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			48,08
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	386,72,00		
			433,93,00	411,09,77
पूरक	Supplementary	47,21,00		-22,83,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			22,72,51

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹2283.23 लाख) जुलाई, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹4721.00 लाख के पूरक अनुदान का 48 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

1. In the voted portion of the grant, the overall savings (₹2283.23 lakhs) constituted 48 percent of the supplementary grants of ₹4721.00 lakhs obtained in July, 2018 and February, 2019 and 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2011"	Major head "2011"			
संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	Parliament/State/Union Territory Legislatures			
मू.	O.	38672.00		
पू.	S.	4721.00	41120.49	41109.77
पु.	R.	-2272.51		-10.72

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) “संसद – राज्य सभा – सदस्य” – ₹12411.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2376.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹14787.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹2708.54 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – चिकित्सा, यात्रा भत्तों के संबंध में कम दावों की प्राप्ति होने, कम विदेशी दौरे किए जाने और नई दिल्ली नगर निगम परिषद से बिजली बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(III) “संसद – राज्य सभा सचिवालय – राज्य सभा टेलीविजन चैनल” – ₹1225.48 लाख की बचत (₹7521.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेशवर सेवाओं संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, नई दिल्ली नगर निगम परिषद से बकाया दावों का निपटान न होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें “संसद – राज्य सभा सचिवालय – सचिवालय” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप प्रतिसंतुलित हो गई – ₹1689.30 लाख का अधिक व्यय (₹2337.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹20450.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय के लिए जगह किराये पर लिए जाने के संबंध में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, एलएएन/वाईफाई, ई-ऑफिस का अपग्रेडेशन किए जाने, लैपटॉप की अधिप्राप्ति और बायोमेट्रिक डिवाइस के इंस्टॉलेशन किए जाने तथा 5वीं वेतन समिति रिपोर्ट की सिफारिशों का कार्यान्वयन होने के कारण हुआ।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) Under “Parliament – Rajya Sabha – Members” – the original provision of ₹12411.00 lakhs was augmented to ₹14787.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2376.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2708.54 lakhs (including supplementary grant) – due to receipt of less claims towards medical, travelling allowance, less foreign visits and non-receipt of electricity bills from New Delhi Municipal Council.

(III) Under “Parliament – Rajya Sabha Secretariat – Rajya Sabha Television Channel (RSTV)” - saving of ₹1225.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7521.25 lakhs) was due to requirement of less funds towards professional services, non-settlement of arrear claims to New Delhi Municipal Council and less tours undertaken.

2. The above savings were partly offset by excess under “Parliament - Rajya Sabha Secretariat – Secretariat” – excess of ₹1689.30 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹20450.50 lakhs including supplementary grant of ₹2337.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards rent of office space, up-gradation of LAN/Wifi, e-office, procurement of laptops, installation of biometric devices and implementation of 5th Pay Committee Report recommendations.